न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 17 / 2016 (मु0 प्रार्थना पत्र)

1. सुनील कुमार पिता स्वर्गीय केसरीमल जी कुकडा, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती दाखी बाई पत्नी केसरीमल जी कुकडा, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... प्रार्थीगण / अपीलान्टगण

बनाम

1. बसन्तीलाल पिता केसरीमल जी कुकडा, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. कमलेश पिता नीमतलाल जी मेनारिया, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. हीरालाल पिता शंकरलाल जी जोशी, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. सुरेश पिता लक्ष्मीलाल जी मेनारिया, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती भगवती पत्नी शान्तिलाल जी व्यास, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. भैरूलाल पिता उदयलाल जी मेनारिया, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. रामचन्द्र पिता सूरजमल जी जाट, निवासी संग्रामपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. नानालाल पिता उदयलाल जी व्यास, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती आशा पत्नी सुनील कुमार जैन, निवासी खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... विपक्षीगण / रेस्पोन्डेन्टगण

पुनरावेदन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश

41 नियम 19 सपठित धारा 151 जा.दी.

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री एस. पी. गोस्वामी अभिभाषक प्रार्थीगण

2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक विपक्षी सं0 1

———/———

निर्णय दिनांक 27–11–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 53/2014 जो कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें दिनांक 28–11–2015 को सम्मन नोटिस पेश किये जाने बाबत् निर्दिष्ट किया जाकर पत्रावली दिनांक 15–03–2016 को वकील अपीलान्ट व अपीलान्ट की अनुपस्थिति एवं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता की उपस्थिति के कारण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी।

इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15–03–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 01–06–2016 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त आवेदन के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट के जूनियर अधिवक्ता अदालत में आते रहे और प्रकरण रेस्पोन्डेन्ट की तामील में नियत चला आ रहा है, जूनियर अधिवक्ता ने गलती से पेशी दिनांक 15–03–2016 के स्थान पर आगामी तारीख पेशी दिनांक 23–05–2016 अपनी डायरी में नोट कर ली तथा जब दिनांक 23–05–2016 को अपीलान्ट के अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर हुए तो उन्हें उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई। जानकारी होते ही तुरन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। यदि अपील बाजदायरी नहीं की गयी तो प्रार्थीगण अपनी अचल सम्पत्ति से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगा। अतएवं मयान कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन का जवाब विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा आवेदन गलत आधारों पर प्रस्तुत की गया है तथा कई पेशियों तक सम्मन पेश किये जाने के लिए मौके लेने के बाद दिनांक 15–03–2016 को पेशकार साहब ने बताया कि पत्रावली में सम्मन की तामील नहीं हो रही है एवं सम्मन तामील जरिये अखबार करायी जावे तो मौजूदा अपीलान्ट के अधिवक्ता ने प्रकरण में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करने का निवेदन किया इस पर न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया, जिसकी जानकारी अपीलान्ट

को उसी दिनांक को हो चुकी थी। इसलिए विलम्ब को कण्डोन नहीं किया जा सकता। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा इस न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपील दिनांक 25–01–2014 को दर्ज होने के बाद दिनांक 06–01–2015 को रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद दिनांक 21–04–2015 एवं 21–07–2015 को पीठासीन अधिकारी अदालत में उपलब्ध नहीं होने से दिनांक 06–10–2015 की तारीख दी गयी तथा दिनांक 06–10–2015 व 28–11–2015 को सम्मन प्रस्तुत करने की हिदायत दी गयी।

आश्चर्य जनक रूप से रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के संबंध में यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित थे इसके बावजूद न्यायालय द्वारा प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया। इस न्यायालय के पास यदि सम्मन बावजूद नोटिस पेश नहीं होते हैं तो प्रकरण अदम तकमील में खारिज किये जाने के अधिकार है तो फिर यह न्यायालय प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में क्यों खारिज करेंगा ? प्रथम दृष्टया न्यायालय की सदाशयता को प्रश्नांकित नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय में उक्त निर्णय दिनांक 15–03–2016 की मयाद दिनांक 14–04–2016 होती है, परन्तु यह आवेदन दिनांक 01–06–2016 को प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब के लिए जो कारण बताये हैं, वह अधिवक्ता की सद्भावी त्रुटि से संबंधित हैं। अधिवक्ता की सद्भावी त्रुटि के कारण पक्षकार को उसकी अचल सम्पत्तियों के अधिकारों से वंचित किये जाने का कोई आधार न्यायालय के पास नहीं है। विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक नजीर आर.बी.जे. 2010 पेज 289 एवं आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 711 प्रस्तुत की गयी है, जिनके तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

→ उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर आवेदन श्रवणार्थ ग्रहण किया जाता है।

प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में प्रमुख रूप से यह कथन किया कि दिनांक 15–03–2016 को प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उनकी अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गयी, परन्तु पूववर्ती

पेशियों पर उनके जूनियर अधिवक्ता उपस्थिति हुए थे, लेकिन त्रुटिवश डायरी में दिनांक 15–03–2016 के स्थान पर दिनांक 23–05–2016 नोट कर ली। अतएवं न्यायहित में उसकी अचल संपत्ति की रक्षा के लिए आवेदन स्वीकर कर अपील बाजदायरी की जावे।

विपक्षी संख्या 1 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर दफा 5 जाब्ता मियाद के जवाब में वर्णित तथ्यों अनुसार ही कथन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित थे, परन्तु उन्होंने स्वयं ने अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करवा ली।

न्यायालय की आदेशिका के अतिक्रमण में विपक्षी का उक्त कथन कदापि ग्रहण योग्य नहीं है। यदि अपीलान्ट द्वारा सम्मन पेश नहीं किये जाते हैं तो न्यायालय को प्रकरण अदम तकमील में खारिज करने की अधिकारिता है। इन परिस्थितियों में यह नहीं माना जा सकता कि वकील अपीलान्ट की उपस्थिति में प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज में किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2000 राज. पेज 226, आर.एल.डब्ल्यू. 1995 (1) पेज 592, आर.आर.डी. 1996 पेज 427 एवं आर.आर.डी. 2001 पेज 161 प्रस्तुत की है, जिनके तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अपीलान्ट/प्रार्थीगण का आवेदन निसंदेह विलम्ब से पेश हुआ है तथा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट को इस कारण अनावश्यक वादकरण व्यय का भार पड़ा है इसलिए हम क्षतिपूर्ति के रूप में 1100/– रूपये कोस्ट पर आवेदन स्वीकार कर इस न्यायालय की मूल अपील संख्या 53/2014 को रेस्टोर करने का आदेश देते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर